



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2( )परावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/निलंबन/नोखा/बीकानेर/20/1351 जयपुर दिनांक:- 14/09/2020

—: आदेश :-

सुश्री साजिया तबस्सुम, RRDS विकास अधिकारी पंचायत समिति नोखा जिला बीकानेर के विरुद्ध विभागीय जाँच कार्यवाही विचाराधीन है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सुश्री साजिया तबस्सुम, RRDS विकास अधिकारी पंचायत समिति नोखा जिला बीकानेर को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के एतद्द्वारा आदेश प्रदान करती है।

सुश्री साजिया तबस्सुम, RRDS विकास अधिकारी पंचायत समिति नोखा जिला बीकानेर का निलंबनकाल में मुख्यालय, पंचायती राज विभाग, जयपुर कार्यालय में रहेगा।

(रोहित कुमार सिंह) 14/09/20  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव (एल.टी), माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके परिपत्र दिनांक 19.09.2013 एवं 31.07.2018 के क्रम में आदेश की पुष्टि करने हेतु प्रेषित है।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा, राजस्थान जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त, बीकानेर।
9. जिला कलक्टर, बीकानेर।
10. अतिरिक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बीकानेर।
11. विकास अधिकारी पंचायत समिति नोखा जिला बीकानेर।
12. सुश्री साजिया तबस्सुम, RRDS विकास अधिकारी पंचायत समिति नोखा जिला बीकानेर को निर्देशित किया जाता है कि वे मुख्यालय, पंचायती राज विभाग में इस प्रयोजनार्थ रखी गयी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करेंगे तथा बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
13. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावे।
14. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)